

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

आदेश


नवा रायपुर, दिनांक 07/08/2023

क्रमांक 846/502/2021/स्था/चार :: राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष-2021 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, वित्त विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, तीन वर्ष की परीक्षा पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 में अनन्तिम (Provisional) रूप से कडिका 2.1 से 2.15 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

स.क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संचालक (छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा) का मुख्य सूची का सरल क्र.	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
1.	1.	श्रीमति आभा गुरुद्वान पति-श्री दीपक शर्मा स्थायी पता-C/O श्री आनंद गुरुद्वान, कान्हा किराना स्टोर के पीछे, जोरापारा, नया सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001	अनारक्षित (महिला ओपन)
2.	2.	श्री भूपेन्द्र दास वैष्णव, पिता-श्री रामनारायण वैष्णव स्थायी पता-ग्राम+पोस्ट-तरेंगा, थाना-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा, छ.ग. पिन-493118	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन)
3.	3.	श्री गुंजलाल राठिया पिता-श्री कुमार सिंह, स्थायी पता-ग्राम-कछार, पोस्ट-चोरभट्टी, तहसील-करतला, व्याहा-भैसमा, जिला-कोरबा, छ.ग. पिन-495674	अनुसूचित जनजाति (ओपन)

2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2.2 परीक्षाधीन अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 28.07.2020 के अनुसार "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।"



2.3 छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी के उप-नियम (1) में निहित प्रावधान अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त कर्मियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-

(क) प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,

द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,

तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।

2.4 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में ऐसा प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण करना होगी जो शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

2.5 शासकीय सेवा के दौरान शासकीय सेवक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 के अंतर्गत शासित होगा।

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण-पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थियों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

2.7 उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर अधिकारी के समक्ष स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

2.8 सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा। पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

2.9 अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा: जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी के सत्य होने के विषय, एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.10 चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना आवश्यक होगा कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा।

2.11 चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी।


2.12 यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

2.13 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

2.14 यह "नियुक्ति" सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र.एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3, दिनांक 03.05.2023 में उल्लेखित अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

2.15 उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(शांता खरे)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 847/502/2021/स्था/चार,

नवा रायपुर, दिनांक 07/08/2023

प्रतिलिपि :-


1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर
3. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 624/63/चयन/2022, दिनांक 12.05.2023
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर
6. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
8. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/पेंशन एवं भविष्य निधि, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
9. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. नवा रायपुर। कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें। मेडिकल बोर्ड की बैठक तिथि, स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थियों को उसके वर्तमान पते पर सीधे सूचित करें, ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।
10. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
11. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नवा रायपुर की ओर राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित हेतु।
12. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, महानदी भवन, नवा रायपुर को वेबसाईट <http://finance.cg.gov.in> पर अपलोड करने हेतु।

13. संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग, छत्तीसगढ़
14. समस्त कोषालय अधिकारी,.....छत्तीसगढ़
15. संबंधित अभ्यर्थी

..... आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश की पावती एवं सहमति अविलंब इस विभाग को भेजे एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से **एक माह** के भीतर संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

16. आदेश फोल्डर हेतु

-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(शांता खरे)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित
व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आ0
उम्र वर्ष व्यवसाय निवासी
तहसील जिला राज्य शपथपूर्वक कथन
करता/करती हूँ कि :

- (1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।
- (2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्यक्षीन प्रदान की गई है।
- (3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- (4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।
- (5) कदाचित् उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण-पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जाँच करती है अथवा गहन जाँच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जाँच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्यक्षीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम)

..... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी

आत्मज/आत्मजा सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर